

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट-प्लान) की 176वीं बैठक दिनांक 04.07.2012 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में "चिन्तन" कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्रीमती सुचि शर्मा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री जे.वी.जाखड़, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री अनिल पथरिया अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बी.पी.सी. एवं सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे-

1. श्री राजेन्द्र सिंह उपायुक्त जोन-1,व जोन-5, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री नीरज तिवारी वरिष्ठ नगर नियोजक-1, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री प्रेम शंकर वरिष्ठ नगर नियोजक-III, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री नारायण प्रसाद शर्मा सहायक नगर नियोजक जोन-5, जविप्रा जयपुर।
5. श्रीमती ऊषा जैन जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा संख्या:-1

175 / 22.06.2012

विषय:- आवासीय भूखण्ड संख्या ई-9 व ई-10 क्षेत्रफल 1608.21 वर्गगज (मौजी कॉलोनी के पास) मालवीय नगर के पुर्नगठन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया, विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या ई-9 व ई-10 का पुर्नगठन स्वीकृत किया जावे।

पुर्नगठित भूखण्ड के सेटबैक व अन्य पैसामीटर्स निम्नानुसार होगे :-

<u>सेटबैक</u>	<u>सामने-I</u>	<u>सामने-II</u>	<u>सामने-III</u>	<u>पाश्व</u>
30'-0"	30'-0"	15'-0"	15'-0"	

अधिकतम निर्मित क्षेत्रफल :- सेटबैक क्षेत्र के अन्दर

अधिकतम ऊंचाई :- भवन विनियम 8.11 के अनुसार

एफ.ए.आर. :- 1.2 (मानक)

:- 2.25 अधिकतम वेटरमेन्ट लेवी सहित

पुर्नगठित भूखण्डों का क्षेत्रफल 1608.12 वर्गगज है, अतः राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

एजेण्डा संख्या:-2

175 / 22.06.2012 (जौन-04)

विषय:—टैगोर गृ.नि.स. समिति की योजना जादौन नगर-बी के म.सं. 48 का नियमन करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया, विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 48 को 48-बी इस शर्त के साथ परिवर्तित किया जावे, जबकि भूखण्ड संख्या 48 व 48-बी के भूखण्डधारियों द्वारा भूखण्डों के नम्बरों के परिवर्तन बाबत् आपसी सहमती प्रदान की जावे।

एजेण्डा संख्या:-3

175 / 22.06.2012 (जौन-05)

विषय:—भू.सं. 23 योजना पंचवटी कॉलोनी (कर्मचारी ग्रुप हाउसिंग सहकारी समिति लि० जयपुर) के उपविभाजन एवं समुख सेटबैक में आंशिक भाग के निर्माण में शिथिलता प्रदान करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया, विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि उपविभाजित भूखण्ड संख्या 23-ए मे निर्धारित सेटबैक छोड़ने के उपरान्त निर्मित क्षेत्रफल नहीं मिलता है अतः भूखण्ड 23 का उपविभाजन निरस्त किया जावें।

एजेण्डा संख्या:-4

175 / 22.06.2012 (जौन-05)

विषय:—ग्राम गोपालपुरा तह० सांगानेर में स्थित निजी खातेदारी के ख.नं. 140 पुराना वर्तमान में 131, 132, 133, 134, में से 769.36 वर्गमीटर भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ एकल पट्टा लेने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया, विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रकरण में 30 फुट सड़क के सम्बंध में विस्तृत जॉच जोन स्तर पर की जावे तथा पूर्व मे योजना अनुमोदित के अस्वीकृत भाग (Land load area) का सम्पूर्ण सर्वे भी करवाया जावे जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। तत्पश्चात् ही प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-5

175 / 22.06.2012(जौन-07)

विषय:—संयुक्त गृ.नि.स. समिति की आफिसर्स कैम्पस विस्तार योजना के आवासीय भू.सं. 325 से 327 एवं भू.सं. 336 से 339 के पुर्नगठन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया, विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि इस पुर्नगठित भूखण्ड के साथ लगते हुए भूखण्ड 335-336, 339-340, व 325-326 का चरपेटा है, जबकि पुर्नगठित भूखण्डों के साइड में सेटबैक विनियमानुसार निर्धारित किया गया है, अतः पुर्नगठित भूखण्डों के भूस्वामी द्वारा सभीपवर्ती भूखण्डधारियों को साइड में सेटबैक छोड़ने के लिए बाध्य नहीं करेगा, इस सम्बन्ध में प्रार्थी से शपथ पत्र लिया जावे।

उपरोक्त शर्त के अनुसार निम्न पैरामीटर्स के अनुसार भूसं. 325 से 327 व भूसं. 336 से 339 ऑफिसर्स केम्पस के पुर्नगठन स्वीकृत किया जावे।

पुर्नगठित भूखण्ड के सेटबैक व अन्य पैरामीटर्स निम्नानुसार :-

सेटबैक	सामने	साइड-I	साइड-II	पीछे
(200'-0" सड़क)	(328,335 की ओर)	(324,340 की ओर)	(12मी. सड़क की ओर)	
9मी.	4.5मी.	4.5मी.	4.5मी.	

अधिकतम निर्मित क्षेत्रफल :- सेटबैक क्षेत्र के अन्दर

अधिकतम ऊंचाई :- भवन विनियम 8.11 के अनुसार

एफ.ए.आर. :- 1.2 (मानक)

:- 2.25 अधिकतम वेटरमेन्ट लेवी सहित

पुर्नगठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1721.64 वर्गगज (1440.03 वर्गमीटर) होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

एजेण्डा संख्या:-6

175 / 22.06.2012 (जौन-07)

विषय:- तोपखाना देश गृ.नि.स.समिति की योजना नेमी नगर, गांधी पथ के भूसं. ए-80 से ए-82 व ए-90 से ए-92 कुल 6 भूखण्डों के पुर्नगठन के सम्बन्ध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया, विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि पुर्नगठित भूखण्ड के साथ लगते हुए भूसं. 82 व 82-बी तथा भूसं. 89-90 का चरपेटा है, जबकि पुर्नगठित भूखण्डों के साइड में सेटबैक विनियमानुसार निर्धारित किया गया है, अतः पुर्नगठित भूखण्डों के भूस्वामी द्वारा सभीपवर्ती भूखण्डधारियों को साइड में सेटबैक छोड़ने के लिए बाध्य नहीं करेगा। इस सम्बन्ध में प्रार्थी से शपथ पत्र लिया जावे।

उपरोक्त शर्त के अनुसार निम्न पैरामीटर्स के अनुसार भूसं. 82 व 82-बी तथा भूसं. 89-90 के पुर्नगठन स्वीकृत किया जावे।

पुर्नगठित भूखण्ड के सेटबैक व अन्य पैरामीटर्स निम्नानुसार है :-

<u>सेटबैक</u>	<u>सामने</u>	<u>साइड-I</u>	<u>साइड-II</u>	<u>पीछे</u>
(24मी. सड़क की ओर)	(भू.सं. 82-89 की ओर)	(9मी. सड़क ओर)	(12मी. सड़क की ओर)	
12मी.	6मी.	6मी.	6मी.	

अधिकतम निर्मित क्षेत्रफल :- सेटबैक क्षेत्र के अन्दर

अधिकतम ऊंचाई :- भवन विनियम 8.11 के अनुसार

एफ.ए.आर. :- 1.2 (मानक)

:- 2.25 अधिकतम वेटरमेन्ट लेवी सहित

पुर्नगठित भूखण्डों का क्षेत्रफल 2549.21 वर्गगज (2132.23 व.मी.) है, इसलिए राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

एजेण्डा संख्या:-7

175 / 22.06.2012 (जौन-08)

विषय:- ग्राम गणपतपुरा तहसील सांगानेर खोनो 116/3, 117/1, 118/3, 119/3 कुल किता 4 रकबा 0.33 हैक्टर के उपविभाजन के सम्बन्ध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया, विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि एजेण्डा में प्रस्ताव अनुसार भूखण्ड संख्या ए से एच तक का उपविभाजन स्वीकृत किया जावे।

उपविभाजित भूखण्ड संख्या ए से एच तक के सेटबैक व अन्य पैरामीटर्स

निम्नानुसार होंगे :-

<u>सेटबैक</u>	<u>सामने</u>	<u>साइड-I</u>	<u>साइड-II</u>	<u>पीछे</u>
20'-0"	10'-0"	चरपेटा	10'-0"	

अधिकतम निर्मित क्षेत्रफल :- सेटबैकस के अन्दर

अधिकतम ऊंचाई :- 12मी.

एफ.ए.आर. :- 1.2

मूल भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 वर्गगज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

एजेण्डा संख्या:-8

175 / 22.06.2012 (जौन-9)

विषय:—मैसर्स तुलसी विलास डवलपर्स प्रा० लि० द्वारा भूखण्ड संख्या सी-163 से सी-168 तक योजना महल (सी ब्लाक) के पुर्नगठन करवाये जाने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया, विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या सी-163 से सी-168 का पुर्नगठन स्वीकृत किया जावे।

पुर्नगठित भूखण्ड के सेटबैक व अन्य पैरामीटर्स निम्नानुसार होगे :—

सेटबैक	सामने-I	सामने-II	सामने-III	पाश्वर्व
12मी.	2मी.	9मी.	9मी.	

अधिकतम निर्मित क्षेत्रफल :— 35%

अधिकतम ऊंचाई :— भवन विनियम 8.11 के अनुसार

एफ.ए.आर. :— 1.2 (मानक)

:— 2.25 अधिकतम वेटरमेन्ट लेवी सहित

पुर्नगठित भूखण्डों का क्षेत्रफल 4041.00 वर्गमी. है, अतः राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

एजेण्डा संख्या:-9

175 / 22.06.2012 (जौन-09)

विषय:—भूखण्ड संख्या 155 व 156 योजना श्रीराम विहार (महल) के पुर्नगठन की स्वीकृति बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया, विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 155 व 156 का पुर्नगठन स्वीकृत किया जावे।

पुर्नगठित भूखण्ड के सेटबैक व अन्य पैरामीटर्स निम्नानुसार होगे :—

सेटबैक	सामने-I	सामने-II	सामने-III	पाश्वर्व
12मी.	9मी.	9मी.	6मी.	

अधिकतम निर्मित क्षेत्रफल :— सेटबैक क्षेत्र के अन्दर

अधिकतम ऊंचाई :— भवन विनियम 8.11 के अनुसार

एफ.ए.आर.

:- 1.2 (मानक)

:- 2.25 अधिकतम वेटरमेन्ट लेवी सहित

पुर्नगठित भूखण्डों का क्षेत्रफल (4833.00 वर्गगज) है, अतः राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डों पर भी विचार किया गया।

एजेण्डा संख्या:-01

175 / 22.06.2012 (जौन-09)

विषय:- अरविन्द नगर गृह निर्माण सहकारी समिति उदय नगर वी योजना के भूखण्ड संख्या 1 से 4 व 22 से 25 के पुर्नगठन के सम्बन्ध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया, विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 1 से 4 व 22 से 25 का पुर्नगठन स्वीकृत किया जावे।

पुर्नगठित भूखण्ड के सेटबैक व अन्य पैरामीटर्स निम्नानुसार होगे :-

सेटबैक	सामने-I	सामने-II	पार्श्व-I	पार्श्व-II
	12मी.	9मी.	9मी.	9मी.
अधिकतम निर्मित क्षेत्रफल		:- 35%		
अधिकतम ऊंचाई			:- भवन विनियम 8.11 के अनुसार	
एफ.ए.आर.		:- 1.2 (मानक)		
			:- 2.25 अधिकतम वेटरमेन्ट लेवी सहित	

पुर्नगठित भूखण्डों का क्षेत्रफल 3316.43 वर्गगज है, अतः राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

बैठक सध्यवाद समाप्त हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
for (ले-आउट प्लान)
जिविप्रा, जयपुर।

क्रमांक :— जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी) / बीपीसी / 2012 / डी— ५१५

दिनांक:— ०६/७/१२

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, संसदीय सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजरथान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजरथान सरकार, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
6. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
7. अति० आयुक्त (पूर्व) / (पश्चिम) / (एलपीसी) / (भूमि), जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एमपी) जविप्रा जयपुर।
9. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन..... जविप्रा, जयपुर।
11. उप रजिस्टर (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
12. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर। विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।


सदस्य सचिव,
भवन मानविक्र समिति
 (ले—आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।